भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *128
उत्तर देने की तारीख 04 दिसम्बर, 2024

नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्कीम

***128. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्कीम (एनओएफएन) शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देश की सभी 250 ग्राम पंचायतों को इस योजना के तहत सम्मिलित किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्कीम के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
(ग) क्या सरकार को इस स्कीम में खराब नेटवर्क, निम्न-स्तरीय केबल तार या किसी अनियमितता से संबंधित कोई शिकायत मिली है, यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान ग्राम पंचायत-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार द्वारा अनियमितताओं की निगरानी के लिए कोई समिति गठित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्कीम" विषय पर दिनांक 04 दिसंबर 2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 128 के भाग (क) से (घ) के संबंध में लोक सभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण

(क) और (ख) देश में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन), जिसका नाम वर्ष 2017 में परिवर्तित कर भारतनेट रखा गया था, को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। अक्टूबर, 2024 तक भारतनेट चरण-I और चरण-II के तहत नियोजित 2,22,343 ग्राम पंचायतों में से 2,14,283 ग्राम पंचायतें सेवाएं प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। शेष ग्राम पंचायतों को कवर करने और चरण- I और चरण- II नेटवर्क को सुदृढ़ करने का प्रावधान संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) के दायरे में है जिसे 1,39,579 करोड़ रुपये की लागत के साथ अगस्त, 2023 में अनुमोदित किया गया था।

(ग) और (घ) भारतनेट को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (सीपीएसयू) के नेतृत्व वाले मॉडल, राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल, निजी नेतृत्व वाले मॉडल और सेटेलाइट से जुड़ी ग्राम पंचायतों जैसे विभिन्न मॉडलों के तहत चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। प्रचालन में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी की है। हालांकि फाइबर कट, बिजली/बैटरी से संबंधित मुद्दों, कम स्पीड जैसी सामान्य शिकायतों को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के माध्यम से कम किया जा रहा है।

*****